प्रेस नोट **26 / 04 / 2024**

दिनांक 07.04.2024 को थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत ज्वैलरी की दुकान से अज्ञात ग्राहक द्वारा दुकानदार को बातो में उलझाकर आभूषण चोरी मामले का सफल अनावरण, भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 03 अवैध तमंचा एवं 02 मोटरसाईकिल बरामद, 02 महिलाओं सहित 05 अर्न्तजनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में व्यापक सीसीटीवी फुटेज एनालसिस के उपरांत एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 25.04.2024 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकड़ी कोल तिराहे के पास से दोहरीघाट की तरफ से आ रही 02 मोटरसाईकिल पर सवार 02 महिला सहित 05 व्यक्तियों को रोककर चेक किया गया तो उनके कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315/303 बोर, 06 कारतूस 315/303 बोर, पीली धातु के 03 बड़ा लाकेट, 10 छोटा लाकेट, कान की बाली 12 जोड़ी व 03 नग, 08 अंगूठी, 10 नाक की कील, 14 गुरिया, 01 कान का टप्स व कूटरचित नंबर प्लेट के साथ मोटर साइकिल पल्सर यूपी50एबी6175 व हीरो होन्डा मो0 साइकिल यूपी 50 बीबी 9775, 02 कैस बाक्स (जिसमें 2 हजार रूपये है।) व 03 मोबाईलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामद जेवरात दिनांक 07.04.2024 को थाना मधुबन जनपद मऊ के कस्बा मधुबन में एक ज्वैलरी की दुकान से अज्ञात ग्राहक द्वारा दुकानदार को बातो में उलझाकर आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में आवेदक श्री प्रकाश वर्मा पुत्र स्व0 दीनानाथ वर्मा निवासी वार्ड न0 15 कस्बा मधुबन जनपद मऊ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 72/24 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित पाये गये। इस गिरोह द्वारा थाना मधुबन जनपद मऊ के अलावा जनपद आजमगढ़ में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में मु0अ0स0 174/24 धारा 380 भादवि का अनावरण किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0स0 90/24 धारा 419/420/475/482 भादवि व 3/7/25 आयद्ध अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अभिषेक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र रमाकर सिंह सा0 किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. ऋषभ सिंह उर्फ शेरू पुत्र अवधेश सिंह सा0 किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
3. कृष्णा सिंह उर्फ पंकज सिंह पुत्र भगवान सिंह सा0 किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
4. अन्तिमा सिंह पत्नी रवीन्द्र सिंह सा0 किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
5. रीना पुत्री तेजबहादुर सिंह सा0 किशुनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. 03 अवैध तमंचा 315/303 बोर।
2. 06 कारतूस 315/303 बोर।
3. पीली धातु के 03 बड़ा लाकेट, 10 छोटा लाकेट, कान की बाली 12 जोड़ी व 03 नग, 08 अंगूठी, 10 नाक की कील, 14 गुरिया, 01 कान का टप्स।
4. कूटरचित नंबर प्लेट के साथ मोटर साइकिल पल्सर यूपी50एबी6175 व हीरो होन्डा मो0 साइकिल यूपी 50 बीबी 9775।
5. 02 कैस बाक्स (जिसमें 2 हजार रूपये है।)

6. 03 मोबाईलफोन

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–
श्री रवीन्द्र नाथ राय प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन, उ0नि0 वीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, म0उ0नि0 यशोदा हे0का0 संदीप संगम, हे0का0 अमित यादव, म0का0 निलाक्षी मौर्या, का0 संजीव पटेल, का0 अविनाश कुमार का0 अमरजीत सिंह, का0 कमलेश कुमार थाना मधुबन मऊ।
उ0नि0 मनोज कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम/एसओजी टीम, हे0का0 लायक हुसैन, का0 पंकज कुमार यादव, का0 अविनाशधर दूबे, का0 अनिरूद्ध सिंह, का0 ऋषभ द्विवेदी, का0 अनुदेश दत्त बनौधा एसओजी टीम जनपद मऊ
हे0का0 सुशील यादव, का0 विराट पटेल, का0 रोहित सिंह, का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय स्वाट टीम जनपद मऊ।
हे0का0 विवेक सिंह, का0 बृजेश मौर्या व का0 अश्वनी गौड़ सर्विलांस टीम जनपद मऊ।

<u>ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में यूपी–112 पीआरवी कर्मियों की सूझ–बूझ एवं तत्परता के साथ की गयी कार्यवाही के उपरांत 08 वर्षीय गुमशुदा बालक को सकुशल परिजन को सुपुर्द किया गया–</u>
दिनांक 25.04.2024 को समय लगभग 21:46 बजे यूपी–112 को इवेंट प्राप्त होने पीआरवी 2274 द्वारा कालर से जरिये दुरभाष वार्ता करते हुये थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत एस0 एन पब्लिक स्कूल के सामने 02 घण्टे से बैठा एक बालक मौके पर जाकर उक्त बच्चे से पूछताछ किया गया तो बच्चा अपना नाम पता सही नही बता पा रहा था जिसकी उम्र करीब 08 वर्ष थी। उक्त बालक के सम्बन्ध में गांव के आस पास के लोगों से व सम्भ्रान्त व्यक्तियों से काफी पूछताछ व अन्य माध्यम से पता किया गया तब तक राजेन्द्र यादव पुत्र रामधनी यादव निवासी बारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ आये उन्हे देखकर लडका रोते हुये गले लग गया तथा पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करनें से बिछडे हुए बालक को सही सलामत उसके पिता को मिलाया गया दोनों हंसी खुशी से अपने गंतव्य स्थान को चले गये जिसकी आम जनमानस में भूरी–भूरी प्रशंसा की जा रही है।
पीआरवी स्टाफ–
हे0का0 छविराज, का0 अंकुर चन्द्र, का0 विजय मौर्या हो0गा0 पायलट अशोक यादव ।

<u>चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–</u>
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 25.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बेलौली बुथ के पास से मु0अ0सं0 75/24 धारा 411,413,420,468 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र जयराम निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर(फर्जी नम्बर प्लेट) व एक अदद तमन्चा तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा उक्त मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त–
1. अतुल कुमार पुत्र जयराम निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ ।
बरामदगी–
1. एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर (फर्जी नम्बर प्लेट) ।
2. एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की जेवरात व 5040 रुपये बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 26.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढुआगोदाम तिराहे के पास से मु0अ0सं0 92/24 धारा 457,380 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त राजन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी मण्डुसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से 02 जोडी पायल सफेद धातु, 01 जोडी झुमका, 01 जोडी बाली पीली धातु व 5040 रुपये बरामद किया गया इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. राजन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी मण्डुसरा थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

बरामदगी–

1. 02 जोडी पायल सफेद धातु ।
2. 01 जोडी झुमका, 01 जोडी बाली पीली धातु ।
3. चोरी की 5040 रुपये ।